पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-09.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	''गया जिला का डुमरिया प्रखण्ड पूर्णतया उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है । जंगल, नदी एवं पहाड़ से घिरा होने के कारण भौगोलिक दृष्टिकोण से विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में यहाँ काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । डुमरिया प्रखण्ड के महुड़ी पंचायत के ग्राम-बोधीबिगहा में नया थाना खोलने का प्रस्ताव है । लेकिन यह ग्राम आबादी एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से नया थाना के लिए उपयुक्त नहीं है । ग्राम-बोधीबिगहा के स्थान पर यदि ग्राम पंचायत भंगीया के ग्राम-भंगीया बाजार में नया थाना स्थापित किया जाता है तो यह सर्वाधिक आबादी को आच्छादित करेगा, साथ ही ग्राम-भंगीया थाना की पात्रता भी पूरा करता है एवं इस स्थान से उग्रवाद के नियंत्रण, विधि व्यवस्था के संधारण में भी काफी सुविधा होगी । अतएव गया जिलान्तर्गत डुमरिया प्रखण्ड के ग्राम पंचायत भंगीया के भंगीया बाजार में नया थाना स्थापित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।''	गृह (आरक्षी)

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डा० रामानन्द यादव, स०वि०स० श्रीमती सुखदा पांडेय, स०वि०स० श्री आनन्दी प्रसाद यादव, स०वि०स०	"जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2011-12 के तहत खिरोई बायां एवं दायां तटबंध के क्रमशः कि०मी० 44.00 से 90.50 एवं कि०मी० 44.00 से 91.50 का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, संरचनाओं एवं ढाला निर्माण कार्य का प्राक्कलन 12224.32 लाख रूपये का था परन्तु प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं हुआ है । जिसको इनफ्रा स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, चंडीगढ को यह कार्य आवंटित किया गया था । प्राक्कलन में सम्मिलित लगभग 14 करोड़ रूपये जमीन से मिट्टी काटने एवं फसल नुकसान का मुआवजा के रूप में किसानों को भुगतान करना था परन्तु कम्पनी द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । बांध पर घास लगाने, सुलिस गेट बनाने, मिट्टी कैरेज आदि प्रावधानित कार्यों को बिना पूर्ण कराये राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है । समय पर कार्य निष्पादन नहीं होने के कारण दो बार समय वृद्धि विभाग द्वारा दी गयी है । प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि बढ़ाई जा चुकी है, परन्तु कार्य अपूर्ण है । इस कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है । अतएव उक्त मामले की जाँच एवं कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/15- 709 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/15- 709 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।